उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-14/2023/एस-2-।/284952/दस-2023-5/2022

लखनऊ :: दिनॉक 06 मार्च, 2023

कार्यालय-आदेश

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	अतिरिक्त कार्यभार का पद व स्थान
1	2	3
1	श्री ज्ञानपाल सिंह, वित्त अधिकारी, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।	निदेशक (वित्त) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
2	श्रीमती माया पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।	निदेशक (वित्त) उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संजीव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-14/2023-एस-2-।/284952(1)/दस-2023,तददिनॉक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव,नगर विकास/प्राविधिक शिक्षा/वन/नमामि गंगे विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति, डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
6- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
9- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
10- संबंधित अधिकारीगण ।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अजय प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।